भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 369

4 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज की खरीद के संबंध में नेफेड के खिलाफ शिकायतें

369. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नेफेड के विरुद्ध किसानों के साथ प्रत्यक्ष सौदों को दरकिनार करते हुए बिचौलियों के माध्यम से प्याज की खरीद के संबंध में किसानों और महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ द्वारा की गई शिकायतों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए जांच शुरू की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार ने भारतीय विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के माध्यम से उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) द्वारा प्रशासित मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत प्याज की खरीद से संबंधित कथित शिकायतों का संज्ञान लिया था, जो किसानों और महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ द्वारा बिचौलियों के माध्यम से प्याज खरीदने के लिए नेफेड के खिलाफ उठाई गई थीं। सरकार ने नासिक में नैफेड द्वारा की गई खरीद के बारे में तथ्य जानने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के उचित स्तर के अधिकारियों की एक समिति गठित की। इसके अलावा, नैफेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी प्रतिनिधि ने भी नासिक का दौरा किया था। दोनों टीमों ने अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

दोनों टीमों ने अपनी स्वतंत्र तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ प्रमुख टिप्पणियों का सारांश निम्नानुसार है:

रबी 2024 सीजन के दौरान पीएसएफ के तहत सप्लाई वैलिड (डीओसीए की एजेंसी) के खरीद पोर्टल पर 4000 प्याज किसानों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से केवल 3300 किसानों ने ही नेफेड को प्याज बेचा है। पंजीकृत किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है, हालांकि कुछ तकनीकी समस्याएं देखी गईं। प्याज की सरकारी खरीद और विद्यमान खरीद मूल्यों के बारे में प्रचार-प्रसार में जागरूकता की कमी थी। अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पीएसएफ के तहत प्याज की खरीद बंद

होने से प्याज की कीमत में गिरावट आई। राज्य सरकार के ई-पीक पहानी पोर्टल पर पंजीकरण जैसी खरीद प्रक्रिया और इसलिए किसानों के हित में प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/एफपीसी ने इस खरीद इको-सिस्टम के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाई है और फार्मगेट इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भारी निवेश किया है। इससे जिले में एफपीओ संचार को मजबूत करने के अलावा क्षेत्र में सहायक रोजगार का सृजन भी हुआ है, जो इस संबंध में सरकार की नीतियों के अनुरूप है। नेफेड द्वारा समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें रिकवरी दर में 45% से 63% तक सुधार और भंडारण घाटे में 25% से 15% तक की कमी शामिल है। डीओसीए ने स्टॉक की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की है।

(ग एवं घ): डीओसीए की मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, रबी-24 में प्याज की खरीद अधिमानतः किसानों/(एफपीओ)/(एफपीसी)/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) से की जानी थी। समिति ने किसानों से नाफेड द्वारा प्याज की खरीद में अधिकारियों की किसी भी भ्रष्ट संलिप्तता की ओर इशारा नहीं किया है। हालांकि, सरकार ने पीएसएफ के तहत प्याज के खरीद संचालन की व्यापक पहुंच के लिए खरीद प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i. किसान सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए आधार आधारित पंजीकरण के माध्यम से नैफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और राज्य के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रहे हैं।
ii. खरीद पोर्टल किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तिथि/अवधि, उपज की बिक्री के लिए उनकी बुकिंग के विरुद्ध किसानों को स्लॉट/समय के आवंटन आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी भी प्रदान करते हैं। ये किसान को निकटतम खरीद केंद्र में अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉक देने में सक्षम बनाते हैं।
iii. जिन किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पंजीकरण कराया है, उनके भूमि/फसल रिकॉर्ड का सत्यापन राज्य भूमि रिकॉर्ड से ऑनलाइन किया जाता है। किसानों को सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद के बारे में जागरूक करने के लिए उन्हें एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजे जाते हैं। किसानों को उपज के वर्तमान बाजार विक्रय मूल्य के बारे में जागरूक करने के लिए वस्तुओं की दैनिक खरीद दरों के लिए एगमार्कनेट पोर्टल मौजूद है।
iv. इसके अलावा, राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से खरीद करने वाली नेफेड और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों को सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी भुगतान जारी करना सुनिश्चित करती हैं, जैसा कि पंजीकरण के समय दिया गया था। चूंकि एमएसपी का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए किसी एक किसान के बैंक खाते का उपयोग अन्य किसानों को भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

*****